डॉ० अमिता

गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

सूचना प्रौद्योगिकी (IT) नीति

डॉ० अमिता

प्रस्तावना–

आज के तकनीकी युग में विश्वविद्यालय के छात्रों, शिक्षकों, अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए सुरक्षित, तेज और नवीनतम आईटी आधोसंरचना प्रदान करना बहुत महत्वपूर्ण है ताकि वे अपने क्षेत्र में उच्चतम स्तर की उन्नति और संतुष्टि प्राप्त कर सकें। विश्वविद्यालय में सूचना की उपलब्धता और गुणवत्ता का निर्धारण आईटी संरचना के प्रकार और आईटी नीति के कियान्वयन हेतु बनाई रणनीति पर निर्भर करता है। केवल एक लागत प्रभावी आईटी संरचना जो आईटी नीति के उद्देश्यों को अच्छी तरह से परिभाषित करता हो, वही अकादमिक और प्रशासनिक प्रभावशीलता के व्यापक उद्देश्यों की पूर्ति कर सकता है।

उद्देश्य–

1. सूचना प्रौद्योगिकी युक्त बुनियादी ढांचा प्रदान करना जो उपयोगकर्ताओं को अवसरों की पहचान करने, प्रदर्शन में सुधार करने और उनके पेशेवर वातावरण को समझने में सक्षम बनाता हो।
2. विश्वविद्यालय संसाधन के रूप में जानकारी को विकसित और संरक्षित करना और ऐसी संरचना प्रदान करना जो उपयोगकर्ताओं को निरंतर पूर्ण, संक्षिप्त और समयबद्ध जानकारी तक पहुंचने में सक्षम बनाये।
3. ऐसे अनुप्रयोग विकसित करना जो उपयोगकर्ता के अनुकूल हो, जिसका व्यवसायिक मूल्य उच्च हो, और आईटी योजना के उचित उपयोग के माध्यम से उच्च तकनीकी प्रभाव हो।
4. विभिन्न स्थानों पर विभिन्न स्वरूपों में सूचनाओं के नियंत्रित और तीव्र आदान–प्रदान को सक्षम बनाना।
5. सूचना प्रौद्योगिकी के बुनियादी ढांचे के प्रभावी नियंत्रण और रखरखाव को सुनिश्चित करना, जिसमें अनुप्रयोग और सेवा पहुंच, तथा सुरक्षा प्रक्रियाओं की एक प्रणाली को स्थापित करना शामिल है।
6. सक्रिय रूप से सूचना प्रौद्योगिकियों की तलाश करना और उनकी पहचान करना जो विश्वविद्यालय को एक रणनीतिक लाभ प्रदान करेगा तथा ऐसी तकनीकों को प्राप्त करने के अवसरों का अनुसरण करना जो विश्वविद्यालय के शैक्षणिक, प्रशासनिक, खरीद और मानवसंसाधन प्रबंधन में प्रतिस्पर्धी बाधाओं को दूर करने में मदद करे।

Amita

7. सूचना प्रौद्योगिकी संरचना के लिए एक व्यापक योजना तैयार करना और विकसित करना जो अनुप्रयोग विकास प्रयास की भविष्य की दिशा के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में काम करेगी। इससे विश्वविद्यालय की सफलता में इसके योगदान के संदर्भ में मौजूदा और प्रस्तावित अनुप्रयोग का नियमित आधार पर मूल्यांकन कर एक मजबूत प्रणाली जुड. सकती है।

हार्डवेयर नीतिः

6. विश्वविद्यालय के लिए सभी हार्डवेयर आदर्श रूप से 3 साल की ऑन–साइट व्यापक वारंटी और वार्षिक रखरखाव अनुबंध (एएमसी) के साथ खरीदे जाएंगे। विश्वविद्यालय के लिए सर्वोत्तम आईटी आधारभूत संरचना बनाने के लिए नवीनतम कॉन्फिगरेशन के साथ गुणवत्तापूर्ण हार्डवेयर खरीदा जाना चाहिए।

7. विभागाध्यक्ष / अनुभाग / संबंधित व्यक्ति को इंस्टॉल की तिथि से ही आईटी संसाधनों का उपयोग सुनिश्चित करना चाहिए। उपयोगकर्ता को कम से कम 6 महीने पहले आईटी हार्डवेयर की नवीनीकरण प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए ताकि इसे समय पर किया जा सके। यदि एएमसी आगे उपलब्ध नहीं है तो नवीनतम हार्डवेयर खरीदा जा सकता है।

सॉफ्टवेयर और उद्यम संसाधन योजना (ईआरपी):

विश्वविद्यालय आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर पर स्थापित सभी सॉफ्टवेयर (ऑपरेटिंग सिस्टम, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर और आवश्यक एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर) को लाइसेंस प्राप्त होना चाहिए। किसी भी उपयोगकर्ता को आवंटित सिस्टम पर उपलब्ध सॉफ्टवेयर का उपयोग केवल संबंधित उपयोगकर्ता द्वारा ही किया जाना चाहिए।

वेबसाइट को दुनिया भर के छात्रों, अभिभावकों और आम लोगों द्वारा व्यापक रूप से देखा जाता है। वेबसाइट समिति द्वारा वेब–सामग्री को समाज के सभी वर्गों तक पहुँचाने के लिए प्रयास करना चाहिए। इस उद्दे य को प्राप्त करने के लिए यह अनुशंसा की जाती है कि वेबसाइट सामग्री को अंग्रेजी के अलावा, भारत की सभी आधिकारिक भाषाओं में यथासंभव उपलब्ध कराया जाए।

वेबसाइट पर उपलब्ध किसी भी जानकारी को हमेशा प्रामाणिक माना जाता है और इसलिए, संबंधित विभागाध्यक्ष (विभागीय वेब–पृष्ठों के लिए), ि ाक्षक (व्यक्तिगत जानकारी के लिए) और अनुभाग प्रमुख वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी की प्रामाणिकता के लिए जिम्मेदार होते हैं।

Amita

विशयवस्तु संबंधी नीति के लिए समय–समय पर संबंधित विभागाध्यक्षों, संकाय सदस्यों और अनुभाग प्रमुखों द्वारा समीक्षा की जा सकती है यदि ऐसी कोई परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं।

नेटवर्क और इंटरनेट सुविधाः

एनकेएन लैन नेटवर्क सुविधा डायनेमिक होस्ट कॉन्फिगरेशन प्रोटोकॉल (डीएचसीपी) द्वारा प्रदान की जाती है। किसी को भी पूर्व अनुमति के बिना किसी भी आईपी एड्रेस का उपयोग करने की अनुमति नहीं है।

उपयोगकर्ता को केवल शैक्षणिक, अनुसंधान एवं विकास और प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए इंटरनेट सुविधाओं का उपयोग करना चाहिए।

प्रत्येक वाई–फाई उपयोगकर्ता को जारी किए गए नाम और पासवर्ड के साथ अधिकतम दो डिवाइस (एक लैपटॉप और एक मोबाइल) जोड़ने की अनुमति है।

किसी भी व्यक्ति को नेटवर्क के वितरण के लिए परिसर में विभिन्न स्थानों पर स्थापित नेटवर्क स्विच, रैक, एक्सेस प्वाइंट और अन्य उपकरणों को बाधित करने की अनुमति नहीं है।

परिसर में कहीं भी खुदाई करने के लिए आईटी सेल की पूर्व अनुमति लेने की सलाह दी जाती है ताकि फाइबर ऑप्टिक केबल (एफओसी) को संरक्षित किया जा सके और परिसर में 24X7 निर्बाध इंटरनेट सुविधा प्रदान की जा सके। ओएफसी केबल काटने के लिए कंपनी या ठेकेदार को जिम्मेदार ठहराया जाएगा और उसकी मरम्मत/रखरखाव के लिए शुल्क लिया जाएगा।

उपयोगकर्ता नीति–

उपयोगकर्ताओं को उन्हें आवंटित हार्डवेयर के लिए सुरक्षा उपायों को बनाए रखना चाहिए।

उपयोगकर्ता को यह सुनिश्चित करना होगा कि विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किए गए आईटी बुनियादी ढांचे का उपयोग केवल प्रशासनिक और शैक्षणिक उद्देश्य के लिए किया जाता है।

उपयोगकर्ता द्वारा उत्पन्न सभी नेटवर्क ट्रैफिक के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी है।

उपयोगकर्ता द्वारा किसी भी आईटी अधोसंरचना का वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए उपयोग करने या अन्य लोगों या समूहों के लिए डेटा सेवाओं को प्रदान करने और ऐसी जानकारी को प्रसारित करने से परहेज

Amita

करना चाहिए जो दूसरों को नुकसान पहुंचा सकती है या जिसे भारतीय कानून के तहत आपत्तिजनक या अवैध माना जा सकता है।

इलेक्ट्रॉनिक संचार या नेटवर्क ट्रैफिक में उपयोगकर्ता अपनी पहचान के बारे में दूसरों को धोखा देने का प्रयास नहीं करेगा। इसके अतिरिक्त, उपयोगकर्ता जीजीवी के सूचना प्रौद्योगिकी संसाधनों का उपयोग दूसरों को धमकाने, डराने, प्रभावित करने या परेशान करने के लिए नहीं करेगा।

उपयोगकर्ता किसी की निजता का उल्लंघन नहीं करेगा। विशेष रूप से, उपयोगकर्ता अन्य लोगों के कंप्यूटर हैकिंग, खातों, फाइलों, या अन्य जानकारी तक उनकी सहमति के बिना अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने का प्रयास करने से दूर रहेगो।

उपयोगकर्ता को यह समझना चाहिए कि उसे प्रदान किए गए आईटी संसाधन विभिन्न मुद्दों के आधार पर निगरानी के अधीन है, जैसा कि जीजीवी प्रशासन के परामर्श से निर्धारित किया गया है।

परिस्थितियों को देखते हुए, जब भी आवश्यक हो, जीजीवी प्रशासन को इन दिशानिर्देशों को संशोधित करने का अधिकार होगा।

Amita